नई प्रति व्यापार नीति

1042. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के कुल निर्यात में वस्तु-विनिमय व्यापार के भाग को बढ़ाने हेतु नई व्यापार नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व भर में प्रति व्यापार में वृद्धि हो रही है और भारत इस क्षेत्र में प्रमुख भागीदार नहीं बन पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार की प्रति-व्यापार से संबंधित वर्तमान नीति क्या है;

(च) प्रति-व्यापार के अंतर्गत उन प्रमुख सौदों का ब्यौरा क्या है जो तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए थे; और

(छ) वर्ष 1994-95 के दौरान, प्रति-व्यापार के अंतर्गत राज्य वित्त निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और पी०ई०सी० द्वारा किए गए कुल निर्यातों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) से (ङ) मौजूदा नीति में प्रति व्यापार की तीन विस्तृत श्रेणियों का प्रावधान है:

(1) प्रमुख सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद पर प्रति व्यापार।

(2) ई एस सी आर ओ डब्ल्यू (एस्क्रो) खाता के जरिए प्रति व्यापार।

(3) साक्ष्य खाता व्यवस्था के जरिए प्रति व्यापार।

प्रमुख खरीदों के बदले प्रति व्यापार प्रावधान इस समय सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रमुख आयात की कुछ श्रेणियों पर लागू हैं। ऐसे मामलों में निर्यात एक सकारात्मक सूची में से करना होता है तथा कुछ मूल्य-वर्द्धन मानदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन है। एस्क्रो खाता के जरिए प्रति व्यापार अब सूची या मूल्य-वर्द्धन की शर्त के प्रतिबंध के बिना किसी भी देश के साथ किया जा सकता है। यह व्यवस्था उन देशों के साथ व्यापार को सुगम बनाती है जहां दुर्लभ मुद्रा का अभाव है। साक्ष्य खाता व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति व्यापार मलेशिया के साथ व्यापार पर लागू है जबकि भारत से अधिकांश निर्यात परियोजना के रूप में होता है।

प्रति व्यापार व्यवस्था के जरिए भारतीय निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति व्यापार नीति की समीक्षा की जा रही है।

कुल विश्व व्यापार के सन्दर्भ में प्रति व्यापार की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) हालांकि पी०ई०सी० ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी प्रति-व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, एस टी सी ने पिछले तीन वर्षों में तीन प्रति व्यापार समझौता ज्ञापनों तथा एम एम टी सी ने 52 प्रति व्यापार संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें क्रमशः 16.463 मिलियन अमरीकी डालर तथा 43.038 मिलियन अमरीकी डालर के प्रति व्यापार का दायित्व अन्तर्ग्रस्त हैं।

(छ) हालांकि पी ई सी ने वर्ष 1994-95 के दौरान प्रति-व्यापार के अधीन कोई निर्यात नहीं किया है लेकिन एम एम टी सी तथा एस टी सी ने प्रति व्यापार के अधीन क्रमशः 23.15 मिलियन अमरीकी डालर एवं 114.85 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया।

Complaints Regarding Grant of Licences to new sugar Mills in Karnataka

1043. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of FOOD be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 837 given in the Rajya Sabha on 7th August, 1995 and state:

(a) the criteria adopted for selection of the applicant when there are more than one applicants for the area;

(b) whether Government have received complaints from some of the applicants that unfair methods have been adopted by Government of Karnataka for recommending the applicants;

(c) whether Government have gone through the complaints and the details of the enquiries made by Government; and

(d) whether Government have not followed its own rules in the case of Krishnarajpet Sugar Mill, if so, the reason therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) As per the licensing policy guidelines for the sugar industry announced vide Press Note dated 8.11.1991, other things being equal preference in licensing will be given to proposals from the Cooperative Sector and the Public Sector in that order, as compared to the Private Secter.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The applications received for grants of industrial licences for establishment of new sugar factories in the State of Karnataka including the application of M/s. Krishnarajpet Sugar Mill were considered in accordance with the prevailing licensing policy guidelines.

Subsidy to FCI

1044. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the amount of subsidy provided to the Food Corporation of India for the benefit of consumers and producers during 1994-95;

(b) whether these benefits are limited to certain States only; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Food subsidy is paid to the Food Corporation of India for reimbursement of (i) difference between economic cost of foodgrains and their issue prices *viz.* consumer subsidy and (ii) carrying cost of buffer stocks i.e. cost of storage, interest etc. During 1994-95 a sum of Rs. 4,509 crores was released on account of food subsidy to the FCI.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

निर्यात हेतु अभिप्रेत चावल के मूल्य में वृद्धि

1045. **श्रीमती सुषमा स्वराज:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने मई, 1995 से निर्यात के लिए अभिप्रेत चावल की कीमतों में अनेकों बार वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कब-कब और कितनी-कितनी की गई;

(ग) क्या कीमतों में हर बार वृद्धि करने के लिए नए कारण थे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए सरकारी स्टॉक से निर्यात के लिए फाइन और सुपर फाइन चावल की खुली बिक्री के लिए समय-समय पर निर्धारित मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**।

(ग) और (घ) मूल्य का निर्धारण और संशोधन लेवी मूल्य, घरेलू खपत के लिए खुले बाजार के बिक्री मूल्य और डालर और रुपए की समता दर में उतार चढ़ाव जैसे अनेक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए सरकारी स्टॉक से निर्यात के लिए फाइन और सुपर फाइन चावल की खुली बिक्री हेतु मूल्य

(मूल्य रु० / अमरीकी डालर प्रति मी०टन)

अवधि	फाइन चावल	सुपर फाइन चावल	अभ्युक्तियां
19. 4.95—	6300-6700	6600-7000	हालांकि मूल्य सीमा अपरिवर्तित रही तथापि
9. 8.95—			पत्तन नगरों में बिक्री मूल्य 10.8.95 से 200/-रु० प्रति मी० टन बढ़ा दिया गया।